सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः-327/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 28 अगस्त 2020**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना सिधारी

पुरस्कार घोषित व टाँप टेन अपराधी कल्लू फौजी को आश्रय व भगाने में सहायता देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान, अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निर्देशन में निरीक्षक अपराध सिधारी अंशुमान यदुवंशी मय हमराहीगण द्वारा वाछिंत अभियुक्तगण की गिरफ्तारी में भ्रमणशील होकर नरौली चौराहे पर मौजूद थे कि मुखबिर ने सूचना दिया कि एक काले रंग की स्कार्पियो जिसका नम्बर यूपी 50 बीएम 8383 जिसमें शातिर किस्म का लूटेरा कल्लू फौजी उर्फ कालेश्वर एव मुकेश सिंह व धनुषधारी सिंह जो रानी की सराय से पहलवान तिराहे होते हुए आजमगढ़ शहर में जायेगे । जो अपराधी किस्म के है । सूचना पर पुलिस बल के साथ पहलवान तिराहे पर पुहचकर काली स्कार्पियो का इंतजार किया जाने लगा कि थोड़ी देर बाद काली स्कारपियो आती हुयी दिखाई दी । पुलिस बल द्वारा एक बरगी सड़क पर आकर स्कार्पियो को रोकने का इशारा किया गया तो स्कार्पियो का चालक पुलिस वालो को देखकर एकाएक ब्रेक लगा दिया जिसमें सवार दो व्यक्ति गाड़ी से कूदकर भीड-भाड एव गलियो का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे तथा गाडी को घेरकर एक व्यक्ति (चालक) को समय 18.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से अपना नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम धनुषधारी सिंह पुत्र रामबृक्ष सिंह सा0 लौदह इमादपुर थाना मेहनगर आजमगढ़ बताया तथा फरार अभियुक्तो के बारे में कड़ाई से पुछताछ में उनका नाम क्रमशः 1. मुकेश सिंह पुत्र नामवर सिंह निवासी ग्राम लौदह इमादपुर थाना मेहनगर आजमगढ़ 2. कल्लू फौजी उर्फ कालेश्वर सिंह पुत्र पारसनाथ निवासी देवकली थाना मेहनगर आजमगढ़ बताया। पुछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि फरार अभियुक्त कल्लू फौजी उर्फ कालेश्वर शातिर लूटेरा व टाप टेन अपराधी है। जो थाना बरदह के मु0अ0सं0-30/2020 धारा 395,397 भादवि में वांछित और पुरस्कार घोषित है। इसी अपराधी को धनुषधारी सिंह व मुकेश सिंह किसी स्थान पर छिपाने के लिए ले जा रहे थे। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 130/20 धारा 216 ए भादवि बनाम 1. धनुषधारी सिंह 2. मुकेश सिंह पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने पुछताछ बताया कि मेरे और कल्लू फौजी उर्फ कालेश्वर सिंह के बीच पुरानी मित्रता है। कल्लू फौजी उर्फ कालेश्वर सिंह पुत्र पारसनाथ निवासी देवकली थाना मेहनगर आजमगढ़ शातिर लूटेरा है। जो लूट में फरार चल रहा है। आज मै व मुकेश सिंह, कल्लू फौजी उर्फ कालेश्वर को छिपाने ले जा रहे थे । आप लोगो द्वारा गिरफ्तार कर लिये है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

धनुषधारी सिंह पुत्र रामबृक्ष सिंह सा0 लौदह इमादपुर थाना मेहनगर आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0स0 130/20 धारा 216 ए भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

फरार अभियुक्त

मुकेश सिंह पुत्र नामवर सिंह सा0 लौदह इमादपुर थाना मेहनगर आजमगढ़

बरामदगी

एक अदद काली रंग की स्कार्पियो न0 यूपी 50 बीएम 8383

गिरफ्तार /बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

निरीक्षक अपराध श्री अंशुमान यदुवंशी थाना सिधारी मय हमराह जनपद आजमगढ़।